भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 407
गुरूवार, 25 जुलाई, 2024/3 श्रावण, 1946 (शक)

बेरोजगारी की चिंताजनक दर

407. श्री संदोष कुमार पी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को पिछले कुछ वर्षों से देश में बेरोजगारी की चिंताजनक दर के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हाँ, तो सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के बावजूद बेरोजगारी की दर में वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को शिक्षित युवाओं के बीच बेरोजगारी की उच्च दर के बारे में जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो देश में युवाओं में बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करंदलाजे)

(क) से (घ): रोजगार और बेरोजगारी के आँकड़े आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से एकत्रित किए जाते हैं जो 2017-18 से, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित किया जाता है। सर्वेक्षण अवधि, हरेक वर्ष, जुलाई से जून तक है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर), सामान्य स्थिति में, 15 वर्षों और उससे अधिक 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान क्रमशः 4.2%, 4.1% और 3.2% था, जो देश में, जो यह दर्शाता है कि प्रशिक्षण रोजगार दर में, गिरावट आ रही है।

और आगे, अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर), सामान्य स्थिति में 15-29 वर्षों के युवाओं के लिए, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान क्रमशः 12.9%, 12.4% और 10% था, जो देश में गिरावट का संकेत देती है।

रोजगार सृजन के साथ, रोजगार क्षमता में सुधार, के साथ युग्मित, यह सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार सृजन हेतु विभिन्न कदम उठाए हैं।

विभिन्न मंत्रालयों/भारत सरकार के विभागों जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय वित्त मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इत्यादि ने विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों, जैसे प्रधानमंत्री का रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थानों (आर.एस.ई.टी.आई.), दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पी.एम.एम.वाई.) इत्यादि जिसमें रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय में वृद्धि शामिल है। विभिन्न रोजगार सृजन की योजनाएं/कार्यक्रमों को भारत सरकार द्वारा लागू किया जा रहा है, जिनके ब्यौरों, https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

*****